संख्या-2/2022/ई-8-292/दस-2022

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 **लखनऊ: दिनांक: 13 सितम्बर, 2022**

विषय:-निर्माण कार्यों के परियोजनाओं में जी0एस0टी0 की संशोधित दरें लागू करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित निर्माण कार्यों से सम्बन्धित परियोजनाओं के मूल्यांकन तत्समय प्रचलित जी0एस0टी0 की दरों पर किया जाता है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जी0एस0टी0 की दरों में परिवर्तन की स्थिति में जी0एस0टी0 की समय-समय पर प्रचलित दरों को उनके प्रभावी होने की दिनांक से लागू करते हुए जी0एस0टी0 की गणना सुनिश्चित की जाय।

3- जी0एस0टी0 की दरों में परिवर्तन के फलस्वरूप परियोजनाओं की लागत के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में प्रशासकीय विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

प्रशान्त त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।